न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर)

बईजलास श्री विरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर कोटपूतली

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या – 140/2014

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. मिर्चाराम पुत्र सुरजाराम जाति कंजर निवासी केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

2. मुख्त्यारसिंह पुत्र लालजी जाति चमार निवासी कादमा तहसील दादरी जिला भिवानी राजस्थान

3. धर्मवीर पुत्र वीर सिंह जाति धानक निवासी गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

–अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक : 27.1.16

पेरोकार सरकार ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 407/1.50 वाके मौजा केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली जिसके साबिक खसरा नम्बर 216 वाके मोजा केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है। उपरोक्त आराजी को तत्कालीन राजस्व अधिकारी कोटपूतली के द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अप्रार्थीगण को उक्त गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि का आवंटन कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार हाल व साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने से हुई। उपरोक्त भूमि आराजी गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि है एवं जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नही किये जा सकते है। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में दी गई खातेदारी कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 407/1.50 वाके मोजा केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली में से अप्रार्थीगण को नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक/गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। जिस पर अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत कर कथन किया कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल आराजी हाल खसरा नम्बर 407 साबिक खसरा नम्बर 214, 216 वाके मोजा केशवाना राजपूत से बने है तथा आराजी साबिक खसरा नम्बर 216 का कुल रकबा 31 बीघा 7 बिस्वा होता है एवं साबिक रिकॉर्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बर 405/0.01, 406/0.03, 414/2.20, 436/0.28 की सम्पूर्ण आराजी 416/1.29, 413/3.34 मिन बने है। जिनका कूल रकबा 11.72 हैक्टैयर लगभग 47 बीघा होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर)

नही बना अपितु 214 से बना है एवं साबिक खसरा नम्बर 216 के चारो ओर के खसरा नम्बर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड बंजड है। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 216 का गैर मुमकिन नदी होना सम्भव नही है एवं साबिक सेटलमेन्ट में साबिक खसरा नम्बर 3 से बने है जो गैर मुमकिन नदी ना होकर बंजड है। इस प्रकार हाल साबिक रिकॉर्ड के अनुसार हाल खसरा नम्बर 407 गैर मुमकिन नदी ना होकर बंजड भूमि है इसलिए उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। पेरोकार सरकार ने प्रकरण में उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु इस्तदुआ की।

वकील अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथनो का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रकरण में विचाराधीन आराजी हाल खसरा नम्बर 407 साबिक खसरा नम्बर 216 से नही बना अपितु साबिक खसरा नम्बर 214 से बना है। साबिक खसरा नम्बर 216 से हाल खसरा नम्बर 405/0.01, 406/0.03, 414/2.20, 436/0.28, 435/926-0.35, 433/928-0.09 की सम्पूर्ण आराजी एवं आराजी खसरा नम्बर 416/1.29, 413/3.34 मिन बने है। जिनका कूल रकबा पूर्व में ही 11.72 हैक्टैयर यानि 47 बीघा होता है तथा आराजी साबिक खसरा नम्बर 214 रकबा 75 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 401/5.97, 402/2.85, 403/2.63, 404/2.50, 407/4.65, 408/4.77, 409/0.10, 410/0.10, 411/0.10, 412/0.36 वाके मोजा केशवाना राजपूत बने है। परन्तु हाल मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 407 को साबिक खसरा नम्बर 214 की बजाय 216 व 214 दोनो से मिलकर बना होना गलत अंकित किया है। साबिक व हाल नक्शे के अवलोकन करने से भी उपरोक्त तथ्य बखुबी साबित है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 407 साबिक खसरा नम्बर 216 से बना ना होकर अकेले साबिक खसरा नम्बर 214 से बना है। इसके अलावा साबिक खसरा नम्बर 216 गत सेटलमेन्ट में साबिक खसरा नम्बर 3 से बना है जो बन्दोबस्त 2005 की खेवट से जाहिर है एवं साबिक खसरा नम्बर 3 साबिक रिकॉर्ड सम्वत 1982 की मिस्ल के अनुसार गैर मुमकिन नदी ना होकर बंजड है इसके अलावा नकल नक्शा सम्वत 2005 के अनुसार खसरा नम्बर 216 के चारो ओर स्थित खसरा नम्बर 214, 215, 298, 217, 218, 247 लगायत 250 गैर मुमकिन नदी नही होकर खातेदारी व बंजड भूमि है। इससे भी उक्त तथ्य जाहिर है कि खसरा नम्बर 216 वाके मौजा केशवाना राजपूत गैर मुमकिन नदी की भूमि नही होकर बंजड भूमि है एवं गत सेटलमेन्ट में सहवन से खेवट में गैर मुमकिन नदी अंकित कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दुल रहमान की मंशा गैर मुमकिन नदी व गैर मुमकिन जोहड आदि की भूमि जो बहाव क्षेत्र व पानी की भूमि है उसमें किये गये परिवर्तन को दुरूस्त कर पुनः पूर्व की स्थिति बहाल की जावे परन्तु साबिक खसरा नम्बर 216 वाके मौजा केशवाना राजपूत गैर मुमकिन नदी ना होकर बंजड भूमि है महज लिपिकिय त्रुटि के कारण किसी खातेदार काश्तकार को भूमि से वचित किया जाना अथवा उसकी खातेदारी समाप्त किया जाना कानूनी रूप से उचित नही है, इसलिए उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज संवत 2005 की मिस्ल हैकियत से यह जाहिर है कि साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा 31 बीघा 7 बिस्वा गैर मुमकिन नदी की भूमि है

मिलान क्षेत्रफल 214 व 216 दोनो से मिलकर बना होना जाहिर होता है परन्तु हाल खसरा नम्बर 407 में आराजी साबिक खसरा नम्बर 216 का कितना रकबा समायोजित हुआ व आराजी साबिक खसरा नम्बर 214 का कितना रकबा हाल खसरा नम्बर 407 में समायोजित हुआ। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र व मिलान क्षेत्रफल में अंकित नही किया गया है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर होता है कि उक्त मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा 31 बीघा 7 बिस्वा वाके मोजा केशवाना राजपूत से हाल खसरा नम्बर 405/0.01, 406/0.03, 414/2.20, 436/0.28, 435/926-0.35, 433/928-0.09 की सम्पूर्ण आराजी एवं आराजी खसरा नम्बर 416/1.29, 413/3.34 मिन बना होना अंकित है जिसका कुल रकबा 7.59 हैक्टैयर होता है। इस प्रकार हाल साबिक नक्शे के अवलोकन से भी उपरोक्त तथ्य जाहिर होता है। इसलिए उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा सम्पूर्ण जांच किये बिना की आराजी साबिक खसरा नम्बर 216 से बने हाल खसरा नम्बर 407 में कितना रकबा समायोजित हुआ है व गत सेटलमेन्ट एवं मौके की वस्तुस्थिति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 216 जिसके गत सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 3 है गैर मुमकिन नदी है अथवा बंजड तथा मुताबिक साबिक नक्शा साबिक खसरा नम्बर 216 के चारो ओर स्थित खसरा नम्बर बंजड व खातेदारी की भूमि है इसलिए केवल मात्र साबिक खसरा नम्बर 216 का गैर मुमकिन नदी होना किस प्रकार सम्भव है। यह तथ्य मौके व हाल साबिक नक्शे व रिकॉर्ड व गत सेटलमेन्ट का पूर्णतया जांच करने के उपरान्त उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना सम्भव होगा।

अतः तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि तहसीलदार कोटपूतली स्वंय मौके व हाल, साबिक नक्शे व गत रिकॉर्ड व चारो ओर स्थित खसरा नम्बरान की पूर्ण जॉच कर यदि आराजी हाल खसरा नम्बर 407 वाके मौजा केशवाना राजपूत गैर मुमकिन नदी की भूमि होना पाया जाता है तो सम्पूर्ण रिकॉर्ड व तथ्यो के साथ पुनः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.1.16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)